न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
...विविध प्रकरण GCMS NO 2021/221
दायरा तिथि : 15.09.2021
आदेश तिथि : 20-10-2022

प्रार्थी :–
नरेन्द्रसिंह पुत्र पबसिंह जाति राजपूत
निवासी कोठार तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. गोमीदेवी पत्नी पीबूराम
2. भीकाराम, रताराम, अनाराम पुत्रगण पीबूराम
3. लीला, गीता, रेखा, कनी पुत्रीगण पीबूराम जातिगण रेबारी निवासीगण कोठार तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 20-10-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा कोठार पटवार हल्का, कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 537 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का, कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 430 रकबा 0.6000 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व राजकीय सिवायचक भूमि मौजा कोठार के खसरा नंबर 536 रकबा 0.46 हैक्टर मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2745 दिनांक 22.09.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम कोठार के खसरा नंबर 537 कुल रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि प्रार्थी श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र पबसिंह जाति राजपूत व रामसिंह पुत्र पबसिंह जाति राजपूत के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है व खातेदार की धाारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (व.मी.)	नाम खातेदार
1	430	0.60	बा.सो.	92X9=828	1. अनाराम पुत्र पीवुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 2. कनी पुत्री पीवुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 3. गीता पुत्री पीवुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 4. गोमीदेवी पत्नि पीवुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 5. भीकाराम पुत्र पीवुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 6. रेखा पुत्री पीवुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 7. रताराम पुत्र पीवुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 8. लीला पुत्री पीवुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार,
2	536	0.46	बा.सो.	28X9=252	राजकीय सिवायचक

पेज लगातार 02

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/221
अनवान नरेन्द्रसिंह वगैरा बनाम गोमीदेवी वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी. दर 107447/—रूपये प्रति हैक्टर हैं।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि मौजा कोठार पटवार हल्का, कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 537 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/2745 दिनांक 22.09.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा कोठार पटवार हल्का, कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 537 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का, कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 430 रकबा 0.6000 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व राजकीय सिवायचक भूमि मौजा कोठार के खसरा नंबर 536 रकबा 0.46 हैक्टर **मेंसे 828+252=1080 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर से कोठार 1074447 /—रूपये प्रति हैक्टर **की दर से** (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)	नाम खातेदार
430	0.60	92X9=828		8942X2=17884	1. अनाराम पुत्र पीबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 2. कनी पुत्री पीबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 3. गीता पुत्री पीबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 4. गोमीदेवी पत्नि पीबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 5. भीकाराम पुत्र पीबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 6. रेखा पुत्री पीबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 7. रताराम पुत्र पीबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार 8. लीला पुत्री पीबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रेबारी सा. देह खातेदार,
536	0.46	28X9=252	10.8	2722X2=5444	राजकीय सिवायचक
		कुल रकबा 1080 वर्गमीटर		कुल राशि 23328/—रूपये	

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/213
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/221

अनवान नरेन्द्रसिंह वगैरा बनाम गोमीदेवी वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **17884/– अक्षरे सत्रह हजार आठ सौ चौरासी रूपये** मात्र आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी तथा **5444/–अक्षरे पांच हजार चार सौ चौवालीस रूपये** राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2022/3726-30

दिनांक : 31-10-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र पबसिंह जाति राजपूत निवासी कोठार तहसील बाली को सूचनार्थ।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली